मु0न062/2021 रैफरेंस उनवानी प्रकरण बावूलाल बनाम सरकार व अन्य

27.7.2021. प्रार्थी ओमप्रकाश ने मूल प्रार्थी बावूलाल की मृत्यु बाद बावूलाल के स्थान पर पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 सीपीसी सपठित आदेश–6 नियम–17 सीपीसी प्रस्तुत किया है तथा विवादित आराजी में अन्य ग्रामवासियों के साथ अपना हित होना बताया है।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में जबाव प्रार्थना पत्र अंकित कथनों को दोहराते कथन किया है कि विवादित आराजी में प्रार्थी का कोई स्वत्व, हित, अधिकार, आधिपत्य नहीं रहा है इसलिये प्रार्थी वर्तमान प्रकरण के लिये व्यथित एवं आवश्यक एंव प्रोपर पक्षकार नहीं है। प्रार्थना पत्र में मृतक बावूलाल की मृत्यु की तारीख अंकित नहीं की है। वर्तमान प्रार्थना पत्र के माध्यम से मूल प्रार्थना पत्र में संशोधन की अनुमति दिया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित नहीं है। मृतक बावूलाल के वारिसान प्रकरण में पक्षकार बनना नहीं चाहते है। मृतक बावूलाल के वारिसान की ओर से प्रकरण में पक्षकार बनने के लिये कोई आवेदन पेश नहीं किया गया है। वर्तमान प्रकरण की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। समरी कार्यवाही में प्रार्थी को पक्षकार प्रकरण बनाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित नहीं है।

प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 सीपीसी सपठित आदेश–6 नियम–17 सीपीसी पर अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस पर हमने मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। बहस प्रा0पत्र आदेश–1 नियम–10 सीपीसी सपठित आदेश–6 नियम–17 सीपीसी के अनुसार आवेदक ओमप्रकाश द्वारा प्रकरण की कार्यवाही को संचालित रखने हेतु आवेदक की हैसियत से पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया है और यह कथन किया है कि रैफरेन्स प्रा0पत्र के आवेदक बावूलाल की मृत्यु हो चुकी है। आदेश–1 नियम–10 सीपीसी में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी वाद में उस पक्षकार का जो हित रखता है तो न्यायालय स्वविवेकानुसार प्लीडर से यह अनुरोध कर सकेगा कि वह ऐसे हित के बारे में सम्बोधित करें परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत बावूलाल द्वारा रैफरेन्स आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो इस धारा के तहत अधीनस्थ न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा निर्णित मुकद्दमे के या उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख पर दिये गये आदेश की वैधता अथवा औचित्य के बारे में परीक्षण किये जाने का प्रावधान है। प्रकरण में आवेदक ओमप्रकाश द्वारा आदेश–1 नियम–10 सपठित धारा आदेश–6 नियम–17 सीपीसी के तहत रैफरेन्स आवेदन में पक्षकार बनने तथा संशोधन करने का निवेदन किया है किन्तु सिविल प्रकिया संहिता के उक्त प्रावधान केवल न्यायालय में विचाराधीन वाद पर ही लागू होते है ना कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत जॉच कार्यवाही में। प्रस्तुत प्रकरण धारा 82 एल.आर.एक्ट जॉच कार्यवाही है

जिला कलक्टर, धौलपुर

जिसमें किसी के हितो का निर्धारण नहीं किया जाता। 82 एल.आर एक्ट के तहत मृतक प्रार्थी बाबूलाल के द्वारा विवादित भूमि के बावत जॉच चाही गई थी जिसके बावत न्यायालय के द्वारा उभयपक्ष को सुनकर यह निर्धारण किया जाना था कि क्या प्रकरण में ऐसी कोई विधिक अनियमितता दर्ज है जिसके कारण प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल को रैफरेन्स योग्य है या नही। वर्तमान कार्यवाही में प्रार्थी बाबूलाल की मृत्यु होने के उपरान्त अन्य किसी व्यक्ति या उसके वारिसान को भी प्रार्थी के रूप में संयोजित नहीं किया जा सकता है। इस कारण प्रार्थी ओमप्रकाश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम–10 सपठित धारा आदेश–6 नियम–17 सीपीसी खारिज किये जाने योग्य है। अतः रैफरेन्स प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी ओमप्रकाश का प्रा0पत्र आदेश–1 नियम–10 सीपीसी सपठित आदेश–6 नियम–17 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रस्तुत रैफरेन्स आवेदन पत्र पोषणीय नहीं रहने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।

(आर.के. जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट